जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 21.09.2026**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 738/2026 धारा 137(2)/70(1) बीएनएस व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.09.2026 को एक नाबालिग बालिका को अज्ञात अभियुक्त द्वारा भगा ले जाने के संबंध में दिनांक 15.09.2026 को थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 738/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर धारा 70(1) बीएनएस एवं धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

विवेचना में अभियुक्तगण 1.अमित कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम रानीपुर सौपुरी, थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर, 2.अतुल कुमार कश्यप पुत्र सौनाथ सिंह निवासी ग्राम रानीपुर सौपुरी, थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर तथा 3.मिथुन पुत्र काले सिंह निवासी ग्राम मोमीनपुर दरगो, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आए।

उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त अमित उपरोक्त को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

कार्यवाही-

आज दिनांक 21.09.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 738/2026 धारा 137(2)/70(1) बीएनएस व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट से में वांछित अभियुक्त मिथुन पुत्र काले कारीगर निवासी ग्राम मोमीनपुर दर्गो थाना कोतवाली शहर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मिथुन पुत्र काले कारीगर निवासी ग्राम मोमीनपुर दर्गो थाना कोतवाली शहर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 क्लकटर सिंह थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
2. का0 1276 राहुल थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट

थाना बढापुर जनपद बिजनौर **दिनाँक -21.09.2026**

थाना बढापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 157/26 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस से संबंधित एक अभियुक्त को चोरी किये गये नोटो की माला सहित गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.09.2026 को वादी मौ0 अकरम पुत्र मौ0 हसन निवासी मौहल्ला झोझियान कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना बढापुर पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की दुकान से नोटो की माला चोरी कर ली गयी ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 157/26 धारा 305(A) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 21.09.2026 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त ओमपाल पुत्र स्व श्री राम सिह निवासी ग्राम सरदार पुर छायली थाना बढापुर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी नोटो की 02 माला (कुल 5350/- रुपये) सहित गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त का नाम व पता-

ओमपाल पुत्र स्व श्री राम सिह नि0 ग्राम सरदार पुर छायली थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

नोटो की 02 माला (कुल 5350/- रुपये)

गिरफ्तारी टीम के नाम-

1. उ0नि0 श्री ललित मोहन शर्मा थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2. कां0 406 शहंशाह अब्बास थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3. कां0 2282 दानिश थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4. कां0 3036 अभिषेक नैन थाना बढापुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- यातायात पुलिस **दिनांक 21.09.2026**

महिला सुरक्षा और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के उद्देश्य से जनपद यातायात पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष **“मीट एंड ग्रीट (Meet & Greet)”** अभियान

विशेष “मीट एंड ग्रीट” अभियान (19-20 सितंबर 2026)

यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में जनपद यातायात पुलिस द्वारा **19 एवं 20 सितंबर 2026** को महिलाओं की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया।

प्रमुख गतिविधियां एवं संवाद

- **संवाद और सुझाव:** यातायात पुलिस ने आमजन से सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं एवं युवतियों की सुरक्षा से संबंधित सुझाव और समस्याएं जानीं।
- **यातायात जागरूकता:** वाहन चालकों को यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करने और ड्राइविंग के दौरान नशा न करने के प्रति जागरूक किया गया।

की गई प्रवर्तन (Enforcement) कार्रवाई

अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल **153** वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	उल्लंघन का प्रकार	की गई कार्रवाई (वाहनों/चालकों की संख्या)
1.	फाल्टी / अनियमित नंबर प्लेट	75
2.	शराब पीकर वाहन चलाना	26
3.	मॉडिफाइड / अनधिकृत रूप से परिवर्तित वाहन	26
4.	प्रेशर हॉर्न / हूटर का प्रयोग	23
5.	अवयस्क (नाबालिग) द्वारा वाहन चलाना	03

महत्वपूर्ण अपील एवं संदेश

- **वाहन चालकों के लिए:** शराब पीकर वाहन चलाना चालक और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं दोनों के जीवन के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। साथ ही प्रेशर हॉर्न, अनधिकृत मॉडिफिकेशन और अनियमित नंबर प्लेट का प्रयोग सड़क सुरक्षा को बाधित करते हैं।
- **अभिभावकों के लिए:** अभिभावकों से विशेष अपील की गई कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति बिल्कुल न दें और स्वयं भी उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें।
- **आमजन से सहयोग की अपेक्षा:** यातायात पुलिस ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि सड़क पर चलते समय नियमों का पालन करें और एक सुरक्षित यातायात व महिला-अनुकूल वातावरण बनाने में पुलिस का सहयोग करें।

GOODS
ALLINDIA
TATA

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक 21.09.2026**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 03 अभियोगो (चोरी व पुलिस टीम पर हमला) से संबंधित 02 अभियुक्तों को चोरी किये माल व घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

1. चोरी की घटना: दिनांक 28-29.08.2026 की रात्रि बालाजी धाम कॉलोनी स्थित आरती रानी के घर का ताला तोड़कर अज्ञात अभियुक्त द्वारा सोने का मंगलसूत्र, 02 अंगूठी, चांदी की पायल, बिजली फिटिंग का सामान, ₹20,000 नगद एवं मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। उक्त संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 683/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत है।

2. पुलिस टीम पर हमला: दिनांक 06.09.2026 को ग्राम गंज में शावेज, सद्दाम, गालिब एवं 7-8 अज्ञात महिला/पुरुषों द्वारा एकराय होकर पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए पुलिस टीम पर ईंट-पत्थर, कांच की बोतलों एवं धारदार हथियार से हमला किया गया तथा का0 173 सन्नी के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया। उक्त संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 707/2026 धारा 3(5)/109(1)/132/121(1)/191(2)/191(3) बीएनएस पंजीकृत है।

3. दुकान में चोरी: दिनांक 01-02.09.2026 की रात्रि ग्राम खारी, थाना हल्दौर निवासी गुलाम मुस्तफा अंसारी की दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात अभियुक्त द्वारा 02 बैटरे, 01 प्रिंटर एवं ₹4,000 नगद चोरी कर लिये गये। उक्त संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 695/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत है।

कार्यवाही-

दिनांक 21.09.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 683/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त **शावेज पुत्र जाहिद निवासी ग्राम तरीकमपुर रूपचन्द उर्फ टिक्कोपुर, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर** को मुस्तफाबाद बायपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का **01 मंगलसूत्र पीली धातु, 01 पुरुषों की अंगूठी पीली धातु, 01 महिलाओं की अंगूठी पीली धातु एवं 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु** बरामद हुई।

अभियुक्त शावेज के कब्जे से मु0अ0सं0 707/2026 धारा 3(5)/109(1)/132/121(1)/191(2)/191(3) बीएनएस की घटना में प्रयुक्त **01 अवैध चाकू** भी बरामद किया गया।

मु0अ0सं0 695/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस से संबंधित चोरी के **02 बैटरे** अभियुक्त **असलम पुत्र रफीक निवासी ग्राम झलरा, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर** के कब्जे से बरामद हुए। पूछताछ में उक्त बैटरे अभियुक्त शावेज व उसके भाई जावेद द्वारा चोरी कर असलम को बेचे जाने की जानकारी प्राप्त हुई।

बरामदगी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर मु0अ0सं0 683/2026 एवं मु0अ0सं0 695/2026 में धारा **317(2) बीएनएस** तथा मु0अ0सं0 707/2026 में धारा **4/25 आयुध अधिनियम** की वृद्धि की गई। थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण

पुलिस द्वारा हवालात मर्दाना में निरुद्ध अभियुक्त **शावेज पुत्र जाहिद निवासी ग्राम तरीकमपुर रूपचन्द उर्फ टिक्कोपुर, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर** से पूछताछ की गई। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा दिनांक

29.08.2026 की रात्रि अपने भाई जावेद के साथ बालाजी धाम कॉलोनी स्थित एक बंद मकान में चोरी करना स्वीकार किया गया। अभियुक्त के अनुसार उक्त चोरी में **01 मंगलसूत्र, 02 अंगूठी, 01 जोड़ी पाजेब, ₹2,200 नगद एवं बिजली फिटिंग का सामान** चोरी किया गया था। ₹2,200 में से ₹1,000 उसके भाई जावेद द्वारा उसे दिए गए तथा बिजली फिटिंग का सामान जावेद अपने साथ ले गया। बरामद आभूषण अभियुक्त ने अपने पास रख लिए थे, जिन्हें वह आज बेचने के लिए ले जा रहा था।

अभियुक्त से बरामद अवैध चाकू के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.09.2026 की रात्रि पुलिस टीम द्वारा उसके घर पर दबिश दिए जाने के दौरान उसने अपने भाई सद्दाम, गालिब एवं अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला किया था। अभियुक्त द्वारा उक्त चाकू से एक पुलिसकर्मी की गर्दन पर वार किया गया, जिसे पुलिसकर्मी द्वारा हाथ आगे कर रोकने पर चाकू उसके हाथ में लगा था तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर ईंट-पत्थर फेंके गए थे।

अभियुक्त से अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि करीब 20 दिन पूर्व उसने अपने भाई जावेद के साथ आरटीओ गेट के पास स्थित एक दुकान से **02 बैटरे एवं ₹4,000 नगद** चोरी किए थे। चोरी किए गए बैटरों को तोड़कर उसने कबाड़ी **असलम पुत्र रहीम निवासी ग्राम झलरा, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर** को ₹5,000 में बेच दिया था, जिसमें से ₹3,500 तत्काल प्राप्त कर लिए थे तथा ₹1,500 शेष रह गए थे। अभियुक्त के अनुसार उक्त शेष ₹1,500 आज असलम द्वारा उसे दिए गए, जो उसकी जेब से बरामद हुए हैं। अभियुक्त द्वारा असलम के संबंध में जानकारी देते हुए चोरी के बैटरों की बरामदगी भी कराई गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. शावेज पुत्र जाहिद निवासी ग्राम तरीकमपुर रुपचन्द उर्फ टिक्कोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. असलम पुत्र रफीक निवासी ग्राम झलरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

1.मु0अ0सं0 683/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस से संबंधित चोरी का 01 मंगलसूत्र पीली धातु, 01 मर्दाना अंगूठी पीली धातु, 01 लेडिज अंगूठी पीली धातु एवं 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु बरामद की गई।

2.मु0अ0सं0 707/2026 धारा 3(5)/109(1)/132/121(1)/191(2)/191(3) बीएनएस से संबंधित घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद किया गया।

3.मु0अ0सं0 695/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस से संबंधित चोरी की 02 बैटरियां बरामद की गई।

अभियुक्तों के आपराधिक इतिहासः-

हिस्ट्रीशीटर शावेज उपरोक्त (प्रचलित एचएस-297 ए)

1. मु0अ0स0 870/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0 523/2023 धारा 307 भा0द0वि0 व धारा 3/4/25 A.Act थाना को0शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0 506/2023 धारा 457/342/392/411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0स0 470 /2023 धारा 379/411 भा0दं0सं0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0स0 321/2023 धारा 380 /411 भा0दं0सं0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0स0 649/2022 धारा 380, 411 भादवि व 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना को0शहर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0स0 546/2022 धारा 307, 307, 323, 498-A, 506 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0स0 035/2022 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना को0शहर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0स0 394/2021 धारा 380 ,411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर

10.मु0अ0स0 104/2021 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
11.मु0अ0स0 101/2021 धारा 380/411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
12.मु0अ0स0 775/2020 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना को0शहर जनपद बिजनौर
13.मु0अ0स0 774/2020 धारा 380, 411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
14.मु0अ0स0 770/2020 धारा 380, 411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
15.मु0अ0स0 377/2020 धारा 380/411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
16.मु0अ0स0 165/2017 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
17.मु0अ0स0 013/2017 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना को0शहर जनपद बिजनौर
18.मु0अ0स0 010/2017 धारा 380/411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
19.मु0अ0स0 1325/2016 धारा 379,411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
20.मु0अ0स0 1261/2016 धारा 380, 411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
21.मु0अ0स0 1251/2016 धारा 380, 411, 436 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
22.मु0अ0स0 1216/2016 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
23.मु0अ0स0 549/2015 धारा 380/411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
24.मु0अ0स0 683/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
25.मु0अ0स0 695/2026 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
26.मु0अ0स0 707/2026 धारा 3(5)/109(1)/132/121(1)/191(2)/191(3) बीएनएस व 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

असलम उपरोक्त

1. मु0अ0स0 695/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 अवनीत मान थाना प्रभारी कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
3.उ0नि0 सुन्दरलाल थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
4. का0 2435 अनुज थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
5. का0 3155 सार्थक थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
6. का0 2841 अमरजीत थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
7. का0 2991 हर्ष थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट थाना कोतवाली शहर **दिनांक 21.09.2026**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 755/2026 धारा 109(1) बी.एन.एस. व 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.09.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत हीलर्स हॉस्पिटल से काली माता मंदिर रोड पर दो अज्ञात वाहनों के मध्य फायरिंग की घटना हुई है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यो के आधार पर अभियुक्तगण 1. आकाश पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम कनखेडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2. अंकित सिंह पुत्र नरेश कुमार निवासी सदरुद्दीन नगर फलौडी थाना नहटौर जनपद बिजनौर तथा 10-15 अज्ञात द्वारा जान से मारने की नियत से एक दूसरे पर फायर कर आम जनता में भय व दहशत का माहौल पैदा होने के सम्बन्ध मे दिनांक 19.09.2026 को वादी उ0नि0 श्री शेखर कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा प्राप्त करायी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 755/2026 धारा 109(1) बी.एन.एस. व 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट पंजीकृत किया गया गया ।

कार्यवाही-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.आकाश पुत्र ओमप्रकाश निवासी कनखेड़ी थाना धामपुर जनपद बिजनौर को मुखबिर खास की सूचना पर घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो नं0 UK07AT0058 सहित गिरफ्तार किया गया तथा बरामद स्कॉर्पियो गाडी को 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया तथा 2.हिमांशु पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम स्योहारा गिरधर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम की वृद्धि की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ विवरण

पूछताछ में अभियुक्त हिमांशु ने बताया कि दिनांक 16.09.2026 को वह अंकित सतिया पुत्र नरेश निवासी सदरुद्दीन नगर कॉलोनी थाना नहटौर, विशाल उर्फ लोहरा पुत्र संजीव निवासी ग्राम स्योहारा गिरधर थाना कोतवाली शहर, प्रशान्त उर्फ चण्डी पुत्र नामालूम निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर एवं अन्य साथियों के साथ फोर्ड इकोस्पोर्ट संख्या UP20AW0779 से नूरपुर की ओर जा रहा था। बिजनौर बाईपास रोड पर स्कॉर्पियो सवार व्यक्तियों द्वारा उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में हिमांशु व उसके साथियों ने भी फायरिंग की, जिससे स्कॉर्पियो का पिछला शीशा टूट गया।

वहीं अभियुक्त आकाश पुत्र ओमप्रकाश निवासी कनखेड़ी थाना धामपुर ने बताया कि वह गब्बर उर्फ गर्बर पुत्र अवनीश चौधरी निवासी बूढ़पुर थाना नूरपुर, अमजद पुत्र इदरीश उर्फ इरशाद निवासी किराड़खेड़ी थाना धामपुर, दीपक निवासी लोखड़ियो, अमन निवासी लोखड़ियो, प्रशान्त निवासी मटोरा मान एवं रिकुल निवासी भटियाना खुशहालपुर के साथ स्कॉर्पियो में था। काली माता मंदिर के पास फोर्ड गाड़ी सवार व्यक्तियों द्वारा फायरिंग किए जाने पर उनके द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। आकाश ने अपना तमंचा अमजद को देने की बात बताई। घटना के बाद दोनों पक्ष मौके से फरार हो गए। अभियुक्त हिमांशु से बरामद तमंचा घटना में प्रयुक्त होना बताया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.आकाश पुत्र ओमप्रकाश निवासी कनखेड़ी थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2.हिमांशु पुत्र ब्रहमपाल नि0 ग्राम स्योहारा गिरधर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो नं0 UK07AT0058 (अभियुक्त आकाश से बरामद)

2.घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर (अभियुक्त हिमांशु से बरामद)

अभियुक्तो का आपराधिक इतिहासः-

आकाश उपरोक्त

1.मु0अ0स0 755/2026 धारा 109(1) बी.एन.एस. व 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट थाना कोतवाली शहर बिजनौर

हिमांशु उपरोक्त

1.मु0अ0स0 755/2026 धारा 109(1) बी.एन.एस. व 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट व 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना को0 शहर बिजनौर

2.मु0अ0स0 221/2020 धारा 188/269/270 भादवि व 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम व 03 महामारी अधिनियम थाना अफजलगढ बिजनौर

3.मु0अ0स0 1205/2015 धारा 324, 452, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली शहर बिजनौर

4.मु0अ0स0 341/2016 धारा 147, 323, 325, 379, 504, 506 भादवि थाना मण्डावर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.निरीक्षक सचिन कुमार मय स्वांट/सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।

2.थानाध्यक्ष अवनीत मान थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

3.उ0नि0 हिमांशु, सर्विलांस प्रभारी, जनपद बिजनौर।

4.उ0नि0 सौकत अली, सर्विलांस, जनपद बिजनौर।

5.उ0नि0 संजीव कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

7.का0 1491 संदीप कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

8.का0 2070 रजत कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

9.रि0का0 1724 नकुल थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

सर्विलांस टीम:

10 हे0का0 जोगेन्द्र, सर्विलांस, जनपद बिजनौर।

11. का0 1583 मोनू, सर्विलांस, जनपद बिजनौर।

12. का0 विशाल, सर्विलांस, जनपद बिजनौर।

स्वाट टीम:

13. हे0का0 संदीप तोमर स्वाट टीम जनपद बिजनौर।

14.का0 अनिल, स्वाट टीम, जनपद बिजनौर।

15. का0 सोहनवीर, स्वाट टीम, जनपद बिजनौर।

16. का0 अरुण, स्वाट टीम, जनपद बिजनौर।

17. का0 रवि, स्वाट टीम, जनपद बिजनौर।

17. का0 बालेन्द्र, स्वाट टीम, जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 21.09.2026**

थाना को0शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 754/2026 धारा 310(2)/3(5)/317(3)/ 115(2)/351(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 03 अभियुक्तो को छीनी गयी मोटरसाइकिल व नगदी सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.09.2026 को वादी धर्मेन्द्र पुत्र महावीर सिंह नि0 ग्राम वाजिदपुर पोस्ट मोहम्मदपुर देवमल थाना मंडावर जिला बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 28.08.2026 को अज्ञात अभियुक्तो द्वारा वादी के साथ लाठी-डंडो से मारपीट करते हुए उनका मोबाईल फोन सैमसंग ए 34 5 जी, 2200 रु0 नगद व एक प्लेटिना बाईक जबरदस्ती छीन ली गयी तथा वादी के फोन से 9700 रूपये फोन पे से अन्य खाते मे ट्रान्सफर कर जान से मारने की धमकी दी गयी।

इसके अतिरिक्त उन्ही अज्ञात अभियुक्तो द्वारा पास में खडे एक अन्य व्यक्ति दीपक से मारपीट करते हुए 2800 रूपये नगद व अपाचे बाईक जबरदस्ती छीन ली गयी तथा उक्त अपाचे मोटरसाइकिल को मौके पर ही छोडकर फरार हो गये।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर पर मु0अ0स0 754/2026 धारा 309(4)/115(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया गया तथा अज्ञात अभियुक्तो की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

कार्यवाही-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.फिरोज अली पुत्र फरियाद अली निवासी मछली मण्डी कस्बा व थाना मण्डावर जिला बिजनौर 2. अमजद खान पुत्र सलीम खान निवासी ग्राम चाहडवाला थाना मण्डावर जिला बिजनौर 3. मुबारिक पुत्र शहजाद मलिक निवासी मोडी मोडा थाना वोडिया जमुनानगर (हरियाणा) को छीनी गयी एक मोटरसाइकिल प्लेटिना रजि न0- UP20CR3498 , 1510/- रुपये की नगदी एव एक आईकार्ड (SIL VERTON PULP PAPERS PVT LTD धर्मेन्द्र कुमार पुत्र महावीर सिंह पावर प्लांट 1st class operator) सहित गिरफ्तार किया गया। अभियोग उपरोक्त में धारा 309(4) का विलोप करते हुये धारा 310(2)/3(5)/317(3) बीएनएस की वृद्धि की गयी एव दौराने विवेचना अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.महताब 2. सावन 3. फरियाद के नाम प्रकाश में आये। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. फिरोज अली पुत्र फरियाद अली निवासी मछली मण्डी कस्बा व थाना मण्डावर जिला बिजनौर
2. अमजद खान पुत्र सलीम खान निवासी ग्राम चाहडवाला थाना मण्डावर जिला बिजनौर
3. मुबारिक पुत्र शहजाद मलिक निवासी मोडी मोडा थाना वोडिया जमुनानगर (हरियाणा)

पूछताछ विवरण –

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.08.2026 को रक्षाबंधन के दिन शाम के समय बैराज से रावली जाने वाले गंगा बंधे पर उन्होंने पहले दीपक नामक व्यक्ति को रोककर उसकी अपाचे मोटरसाइकिल, मोबाइल एवं ₹2,800 नकद छीन लिये। इसके बाद धर्मेन्द्र नामक व्यक्ति को प्लैटिना मोटरसाइकिल सहित रोककर बांध से नीचे कच्चे रास्ते पर ले गये तथा अपने साथियों महताब, सावन व फरियाद के साथ मिलकर मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देकर उसकी प्लैटिना मोटरसाइकिल संख्या UP20CR3498, मोबाइल एवं ₹2,200 नकद छीन लिये। दीपक के मोबाइल से धर्मेन्द्र के मोबाइल पर फोन-पे के माध्यम से रुपये ट्रांसफर कर लिये तथा अपाचे मोटरसाइकिल कुछ आगे छोड़कर प्लैटिना मोटरसाइकिल व अन्य सामान लेकर फरार हो गये।

अभियुक्त मुबारिक द्वारा उसी रात्रि बहसूमा स्थित सीएनजी एचपी पेट्रोल पम्प से फोन-पे के माध्यम से प्राप्त धनराशि में से ₹5,000 नकद निकालने तथा मोबाइल महताब को देने की बात बताई गई। अभियुक्तों के अनुसार लूट की रकम में से उन्हें ₹2,500-₹2,500 रुपये हिस्से में मिले तथा मोबाइल महताब, फरियाद व सावन अपने साथ ले गये। बरामद धनराशि को अभियुक्तों द्वारा उक्त लूट की घटना से संबंधित बताया गया है, जबकि शेष धनराशि खर्च होना बताया गया। प्लैटिना मोटरसाइकिल को अन्य घटना में प्रयोग करने के उद्देश्य से अपने पास रखना बताया गया।

बरामदगी का विवरण:-

1.एक प्लेटिना मो0सा0 न0- UP20CR3498 (छीनी गयी)

2.एक आईकार्ड (SIL VERTON PULP PAPERS PVT LTD धर्मेन्द्र कुमार पुत्र महावीर सिंह पावर प्लांट 1st class operator)

3.कुल 1510/- रुपये की नगदी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. निरीक्षक सचिन कुमार मय स्वांट/सर्विलांस टीम, जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 हिमांशु, सर्विलांस प्रभारी, जनपद बिजनौर।
3. थानाध्यक्ष अवनीत मान, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर।
5. उ0नि0 सुन्दरलाल, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर।
6. उ0नि0 सौकत अली, सर्विलांस, जनपद बिजनौर।
7. का0 2435 अनुज कुमार, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर।
8. का0 3155 सार्थक, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर।
9. का0 2841 अमरजीत, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर।
10.का0 2991 हर्ष, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर।
11.हे0का0जोगेन्द्र,सर्विलांस,जनपद बिजनौर।
12. का0 1583 मोनू, सर्विलांस, जनपद बिजनौर।
13. का0 विशाल, सर्विलांस, जनपद बिजनौर।
14. का0 अनिल, स्वाट टीम, जनपद बिजनौर।
15. का0 सोहनवीर, स्वाट टीम, जनपद बिजनौर।
16. का0 अरुण, स्वाट टीम, जनपद बिजनौर।
17. का0 रवि, स्वाट टीम, जनपद बिजनौर।
18. का0 बालेन्द्र, स्वाट टीम, जनपद बिजनौर।